भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2339

(दिनांक 07.08.2026 को उत्तर देने के लिए)

फर्जी समाचार और भ्रामक सूचना के प्रसार को रोकने हेतु कदम

2339. श्रीमती सागरिका घोष:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डिजिटल मंचों के माध्यम से भ्रामक सूचना के प्रसार के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) फर्जी समाचार से निपटने के लिए किन तंत्रों का उपयोग किया जाता है; और

(ग) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु क्या सुरक्षा उपाय हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फर्जी, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाओं की घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न वैधानिक तथा संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं।

<u>इलेक्ट्रॉनिक मीडिया</u>

• टेलीविजन चैनल केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का पालन करते हैं।

• यह संहिता ऐसी सामग्री को प्रतिबंधित करती है जो अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर मिथ्या हो अथवा जिसमें भ्रामक संकेत तथा अर्धसत्य निहित हों।

• अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम उल्लंघनों के निवारण के लिए एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करते हैं।

o स्तर-I - प्रसारकों द्वारा स्व-विनियमन

o स्तर-II - प्रसारकों के स्व-विनियामक निकायों द्वारा विनियमन

o स्तर-III - केंद्र सरकार का निगरानी तंत्र

कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन का निपटारा एडवाईजरी, चेतावनी, अपालॉजी स्क्रॉल, अस्थायी रूप से ऑफ-एयर किए जाने के निर्देश आदि के माध्यम से किया जाता है।

<u>प्रिंट मीडिया</u>

• भारतीय प्रेस परिषद द्वारा जारी पत्रकारिता के आचरण के मानक फर्जी, मानहानिकारक अथवा भ्रामक समाचारों के प्रकाशन पर रोक लगाते हैं।

• भारतीय प्रेस परिषद इन मानदंडों के कथित उल्लंघनों की जांच कर सकती है।

• भारतीय प्रेस परिषद शिकायतों की विधिवत जांच करती है तथा समाचार-पत्र, संपादकों, पत्रकारों आदि को चेतावनी देना, फटकार लगाना अथवा निंदा करना जैसी कार्रवाई करती है।

<u>डिजिटल मीडिया</u>

- डिजिटल मीडिया पर समाचार एवं सम-सामयिक विषयों के प्रकाशकों के लिए आईटी नियम, 2021 के अंतर्गत आचार संहिता निर्धारित की गई है।
- मध्यस्थों को अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा ऐसी सूचना साझा किया जाने से रोकना आवश्यक है जो भ्रामक हो या प्रत्यक्ष रूप से मिथ्या, असत्य या भ्रामक प्रकृति की हो।
- आचार संहिता के अनुपालन के लिए तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान किया गया है।
- प्लेटफॉर्मों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर मिथ्या अथवा मानहानिकारक सामग्री से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
- आईटी नियमों का भाग-II, अन्य बातों के साथ-साथ, मध्यस्थों पर ऐसी सूचना के प्रसार को रोकने का दायित्व अधिरोपति करता है जो प्रत्यक्ष रूप से मिथ्या, असत्य अथवा भ्रामक प्रकृति की हो।

केंद्रीय सरकार से संबंधित फर्जी समाचारों की जांच के लिए पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत एक फैक्ट चैक यूनिट (एफसीयू) स्थापित की गई है। यह भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में प्राधिकृत

स्रोतों से समाचारों की प्रामाणिकता का सत्यापन करती है तथा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सही जानकारी पोस्ट करती है।
